



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-I/292/RJ/12/2023-APCR


दिनांक: 28/06/2023

श्री आनन्द शर्मा
पुलिस अधीक्षक,
जिला - अलवर,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
आर्य नगर, अलवर,
अलवर, राजस्थान 301001
Email Id: sp.alwar@rajpolice.gov.in

विषय: प्रार्थी व उसके परिवार से छुआछूत व परिवार को परेशान एवं जान से मारने की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज करवाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार, जिला - अलवर, राजस्थान का दिनांक 04.03.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री कृष्ण कुमार से दिनांक 04.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य रांचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री कृष्ण कुमार
पुत्र श्री जयसिंह मीना
श्यामपुरा जागीर,
तहसील - नारायणपुर,
जिला - अलवर, राजस्थान,
kamleshnitu1014@gmail.com Mobile No:9414739722